भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 996
गुरुवार, 08 फरवरी, 2024/19 माघ, 1945 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

घरेलू विमान यातायात संबंधी आंकड़े

996. श्री नलीन कुमार कटील:
श्री राम कृपाल यादव:
श्री रवि किशन:
श्री तापिर गाव:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 से घरेलू विमान यात्री यातायात के वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं;

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान दस ऐसे विमानपत्तन कौन-कौन से हैं जहां घरेलू यात्रियों की संख्या सर्वाधिक है; और

(ग) नागरिकों के लिए विमान यात्रा को और वहनीय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डॉ.), विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क): वर्ष 2014 से 2023 तक अनुसूचित घरेलू परिचालन के लिए अनुसूचित भारतीय वाहकों द्वारा ले जाए गए यात्रियों की संख्या का विवरण अनुबंध-I पर उपलब्ध है।

(ख): वर्ष 2023 में सबसे अधिक घरेलू यात्रियों की संख्या वाले दस हवाईअड्डों का विवरण अनुबंध-II पर उपलब्ध है।

(ग): जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने के उद्देश्य से, देश में असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों से क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क को बढ़ाने के लिए सरकार ने अक्टूबर, 2016 में क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (आरसीएस) - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) शुरू की थी। क्षेत्रीय मार्गों पर परिचालन की लागत को कम करने और अंतर को कम करने के लिए वित्तीय व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता प्रदान करते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा रियायतों के माध्यम से चयनित एयरलाइन ऑपरेटरों (एसएओ) की सहायता करके उड़ान-योजना के तहत किफायत को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। योजना के तहत दी जाने वाली रियायतें इस प्रकार हैं:

हवाईअड्डा ऑपरेटर:

i) हवाईअड्डा ऑपरेटर आरसीएस उड़ानों पर लैंडिंग और पार्किंग शुल्क नहीं लगाएंगे।

ii) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण आरसीएस उड़ानों पर कोई टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क (टीएनएलसी) नहीं लगाएगा।

iii) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आरसीएस उड़ानों पर सामान्य दरों के 42.50% की दर से रियायती आधार पर रूट नेविगेशन और सुविधा शुल्क (आरएनएफसी) लगाया जाएगा।

iv) सभी हवाईअड्डों पर चयनित एयरलाइन ऑपरेटरों (एसएओ) को योजना के तहत परिचालन के लिए सेल्फ-ग्राउंड हैंडलिंग की अनुमति दी जाएगी।

केंद्रीय सरकार:

i) इस योजना की अधिसूचना की तारीख से तीन साल की प्रारंभिक अवधि के लिए आरसीएस हवाईअड्डों से एसएओ द्वारा खरीदे गए एविएशन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) पर 2% की दर से उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा।

ii) एसएओ को घरेलू के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय दोनों एयरलाइनों के साथ कोड शेयरिंग व्यवस्था में प्रवेश करने की स्वतंत्रता होगी।

राज्य सरकारें अपने राज्यों के भीतर आरसीएस हवाई अड्डों पर:

i) राज्यों के भीतर स्थित आरसीएस हवाईअड्डों पर एटीएफ पर वैट को 10 साल की अवधि के लिए 1% या उससे कम करना।

ii) यदि आवश्यक हो तो आरसीएस हवाईअड्डों के विकास के लिए न्यूनतम भूमि निःशुल्क और बाधाओं से मुक्त प्रदान करना और मल्टी-मॉडल आंतरिक सम्पर्क प्रदान करना।

iii) आरसीएस हवाईअड्डों पर सुरक्षा और अग्निशमन सेवाएं निःशुल्क प्रदान करना।

iv) आरसीएस हवाईअड्डों पर काफी रियायती दरों पर बिजली, पानी और अन्य उपयोगी सेवाएं प्रदान करना।

v) निर्धारित वीजीएफ का एक निश्चित हिस्सा प्रदान करना (उत्तर-पूर्वी राज्यों, जहाँ अनुपात 10% होगा, के अलावा अन्य राज्यों के लिए 20%)

अनुबंध-I

वर्ष 2014 से 2023 तक घरेलू परिचालनों में यात्री वृद्धि (पी)

वर्ष	**घरेलू परिचालन**
	वहन किए गए यात्री (संख्या में)
2014	66,772,641
2015	80,753,743
2016	99,475,474
2017	116,775,928
2018	138,698,284
2019	143,736,256
2020	62,858,348
2021	82,745,079
2022	123,242,014
2023(पी)	152,040,530
(पी)- अनन्तिम	

अनुबंध-II

वर्ष 2023 में सर्वाधिक घरेलू यात्रियों वाले शीर्ष 10 हवाईअड्डे (पी)

हवाईअड्डे का नाम	**यात्री**
दिल्ली	53,747,065
मुम्बई	37,858,792
बेंगलुरू	32,543,235
हैदराबाद	20,221,765
कोलकाता	17,105,802
चैन्नई	15,177,501
गोवा	10,749,541
अहमदाबाद	9,908,563
पुणे	9,542,232
गुवाहाटी	5,960,294
(पी)- अनन्तिम	

******